न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2016 (उदयपुर डिकी)

लोगर पुत्र अमरा जी डांगी, निवासी मावली डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती धापू पत्नी डूंगाजी डांगी, नि. घासा, तह. मावली, जिला उदयपुर
2. नारू पिता डूंगाजी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री डूंगाजी डांगी, नि. घासा, तह. मावली, जिला उदयपुर
4. श्रीमती उदीबाई पत्नी रामा जी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. रोड़ा पिता रामाजी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
6. केसा पिता रामाजी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
7. खरता पिता रामाजी डांगी, नि0 घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
8. रतनलाल पिता रामाजी डांगी, नि. घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
9. श्रीमती लेहरी पुत्री रामा जी डांगी, निवासी घासा, हाल गन्दोली का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती टमूबाई पिता रामा जी डांगी, निवासी घासा, हाल बेमाला
11. मांगीलाल पिता भेरा रामा जी डांगी, निवासी घासा, हाल खेमपुरा
12. गणे''ा पिता भेरा रामा जी डांगी, निवासी घासा, हाल खेमपुरा
13. श्रीमती लसूबाई पिता भेरा रामा जी डांगी, निवासी घासा, हाल नेता का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
14. श्रीमती नकाबाई पिता भेरा रामा जी डांगी, निवासी घासा, हाल रूपसागर

15.श्रीमती जुमाबाई पिता भेरा रामा जी डांगी, निवासी घासा, हाल नेता का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

16.श्रीमती नवाबाई पिता भेरा रामा जी डांगी, निवासी घासा, हाल रठूजणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

17.मु. टांकुबाई पत्नी भेरा रामा जी डांगी, निवासी घासा, हाल खेमपुरा

18.मु. केसीबाई पत्नी कूका जी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

19.सुखलाल पिता कूकाजी डांगी, नि. घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

20.श्रीमती मांगीबाई पिता कूका जी डांगी, निवासी घासा, हाल नांदवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

21.श्रीमती बनकीबाई पिता कूका जी डांगी, निवासी घासा, हाल लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

22.हीरा पिता नंदाजी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

23.गेरा पिता नंदा जी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

24.खेमा पिता नंदाजी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

25.श्रीमती सकूबाई पिता अमरा जी डांगी, निवासी मावली डांगियान, हाल वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

26.श्रीमती हीराबाई पिता अमरा जी डांगी, निवासी मावली डांगियान, हाल वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

27.श्रीमती कन्नीबाई पिता अमरा जी डांगी, निवासी मावली डांगियान, हाल महाराज की खेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

28.श्रीमती रूपी पिता नंदा जी डांगी, निवासी घासा, हाल टूस डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

29.श्रीमती प्यारी पिता नंदा जी डांगी, निवासी घासा, हाल टूस डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

30.श्रीमती मोहनी पिता नंदा जी डांगी, निवासी घासा, हाल आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

31.देवा पिता भजाजी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

32.नारू पिता भजाजी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

33.श्रीमती मांगीबाई पिता भजाजी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

34.श्रीमती पताबाई पिता भजाजी डांगी, निवासी घासा, हाल करोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

35.मु. रोडीबाई पत्नी भजाजी डांगी, निवासी घासा (फोत) नाम तर्क

36.भगवानलाल पिता कालू जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

37.राजस्थान जरिये तहसीलदार मावली, जिला, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय

व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली

दिनांक 26.02.2013, प्र.सं. 143/02

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री भूरालाल डांगी अभिभाशक अपीलान्ट

2. श्री पन्नालाल मारू अभि.रे.सं. 1, 3, 7, 10

3. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रे. सं. 36

4. श्री राजे''ा पटेल अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट

5. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

27–08–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा एक वाद अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध धारा 53 व 188 राजस्थान का''तकारी अधिनियम के तहत वर्श 2002 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें मौजा घासा की आराजी नंबर 643 रकबा 102 बीघा 15 बिस्वा में पक्षकारान का वाद पत्र में अंकित हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया एवं स्थायी निशेधाज्ञा भी चाही गयी।

उक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30–11–2006 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण मं प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी,

जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 213/2009 प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–08–2010 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादीगण की अपील खारिज कर दी।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 26–02–2013 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट लोगर द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–07–2013 को प्रस्तुत की गयी है, जो उसके द्वारा दिनांक 05–01–2016 को विड्रो कर ली।

दिनांक 08–02–2016 को अपीलान्ट ने पुनः एक आवेदन धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्णय दिनांक 05–01–2016 की आदे"िका पर मेरे द्वारा अंगूठा नि"ाानी की गयी है, जबकि उस पर नारू नाम अंकित हो गया, जो मानवीय भूल है। अतः नारू के बजाय उसे लोगर अंकित किया जावे।

इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 की ओर से आदे"ा 41 नियम नियम 22 (4) सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कोस अपील पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया गया है इसलिए अपीलान्ट द्वारा जो विड्रो किया गया है वह सद्भावी नहीं है।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08–01–2016 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट की अपील विड्रो होने से इसी स्तर पर निस्तारित करते हुए रेस्पोन्डेन्ट की कोस अपील पर सुनवाई हेतु प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदे"ा दिया गया, जिसके आधार पर प्र"नगत अपील 16/2016 दर्ज की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

रेस्पोडेन्ट संख्या 36 की ओर से आदे"ा 41 नियम 22 सपठित धारा 151 जा.दी. के आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि लोगर ने गलत आधारों पर अपील प्रस्तुत की एवं उसे बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर उसने अपील विड्री कर ली। अपीलान्ट की मां राधी के वारिसों के बारे में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 को एतराज करने का कोई अधिकार नहीं है। बंटवाड़ा सूची तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारों को सूचना दी गयी, किन्तु

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 केसीबाई व हीरा ने मौके पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 26–02–2013 को ही हो चुकी थी, परन्तु उसके द्वारा कोई अपील पे''ा नहीं की गयी तथा लोगर द्वारा जो अपील पे''ा की गयी, उसमें गलत आब्जेक्''ान लिये गये। लोगर कभी भो रेस्पोन्डेन्ट के पास नहीं गया न ही कोई राजीनामा किया, केवल मात्र केस को लम्बा करने की गरज से कोस आब्जेक्''ान प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 36 की ओर से दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया कि कोस आब्जेक्''ान मयाद बाहर प्रस्तुत किया गया है एवं देरी का कोई कारण प्रार्थना पत्र में नहीं द''ार्या गया है। अतः कोस आब्जेक्''ान मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट लोगर द्वारा दिनांक 05–01–2016 को अपील विड्रो करवा ली गयी है इसलिए उसकी अपील पर अब विचार किये जाने का कोई प्र''न नहीं है। जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 द्वारा प्रस्तुत कोस अपील का प्र''न है, उक्त कोस अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–02–2013 के विरूद्ध दिनांक 23–12–2014 को प्रस्तुत की गयी है, जो बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां कोस अपील के गुणावगुण का प्र''न है, इस न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 तथा अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक डिक्री की अपील इस न्यायालय द्वारा उभयपक्षों का सुनने के बाद दिनांक 11–08–2010 को खारिज की जा चुकी है तथा उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना में फर्द बंटवाडे हेतु जो सूचना पत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 को जारी किये गये हैं, उस पर इनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है। इसके अलावा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 राधी बाई के वारिस भी नहीं है इसलिए उन्हें राधी बाई की सम्पत्ति के बारे में आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है तथा राधी बाई की मृत्यु पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2600 उसके पुत्र लोगर व पुत्री कनीबाई व हीराबाई के नाम स्वीकृत

हुआ है। इसलिए राधीबाई की सम्पत्ति बाबत् उजर लेने का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 को कोई अधिकार नहीं है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 को फर्द बंटवाड़े हेतु तीन बार सूचना पत्र जारी किये गये किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है। तद्नुसार रस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 प्रस्तुत कोस अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 व 22 द्वारा प्रस्तुत कोस अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–02–2013 यथावत रखी जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 27–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

लक्ष्मणपुरी पिता शंकरपुरी गुसाई, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

जीवनपुरी पिता नाथुपुरी गुसाई, निवासी मावली, तह0 मावली, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....169 / 2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....मावली..... मुकाम.....मुवर्खे.....06.....माह.....10.... 2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....30....माह.....07.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री अरूण जैन.....मिनजानिब अपीलान्ट व....श्री तुलसीराम डांगी

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–10–2017 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....30.....माह.....07... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।